भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 622

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

एमएसएमई के माध्यम से रोजगार सृजन

622. **श्री बाबू सिंह कुशवाहाः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटे व्यवसायों के विकास के लिए एमएसएमई की भूमिका और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने छोटे व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की नई नीति या विशेष प्रचार योजनाएं कार्यान्वित की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख) एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यमों की स्थापना करने में सहायता करता है जिससे समग्र भर में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और राज्य स्तर पर राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) के माध्यम से किया जा रहा है।

स्कीम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है।

विगत 3 वर्षों से और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) में मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	प्रयुक्त एमएम सब्सिडी **(रुपए करोड़ में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
1	वि.व. 2021-22	2,977.65	1,03,219	8,25,752
2	वि.व. 2022-23	2,722.17	85,167	6,81,336
3	वि.व. 2023-24	3,093.87	89,118	7,12,944
4	वि.व. 2024-25*	1,528.77	38,235	3,05,880

*वि.व. *2024-25 दिनांक 01.02.2025 तक के आंकड़े*

वर्ष 2021-22 से अब तक इस स्कीम के अंतर्गत समग्र देश में 97,285 महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे महिलाएं सशक्त हुई हैं और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) से उत्तर प्रदेश में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**मार्जिन मनी सब्सिडी (रुपए करोड़ में)**	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
वि.व. 2021-22	411.63	12,594	100,752
वि.व. 2022-23	378.65	11,601	92,808
वि.व. 2023-24	435.28	11,689	93,512
वि.व. 2024-25*	182.75	4,668	37,344

*वि.व. *2024-25 दिनांक 01.02.2025 तक के आंकड़े।*

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र, उद्यमिता को बढ़ावा देकर और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करके देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे स्थान पर आता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है।

(घ) एवं (ङ) लघु व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हाल ही में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) नई परियोजना स्थापित करने हेतु विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे पात्र परियोजनाओं की सीमा का विस्तार हो गया है।
ii) मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को स्कीम के अंतर्गत उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये स्वीकार्य है। सब्सिडी, परियोजना लागत के 15% से 20% तक होती है।
iii) सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के 10% की तुलना में महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का योगदान 05% है।
iv) विशेष श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछड़े और कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियों का आयोजन।
v) भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।
vi) जनवरी 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में संभावित लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।
vii) स्कीम के अंतर्गत डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) जैसे पशुपालन से संबंधित उद्योगों को अनुमति दी गई है।
viii) युवाओं और भावी उद्यमियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

*****